**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 160**

**6 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: महिला कृषकों के लाभार्थ धनराशि प्रदान किया जाना।**

**160 : डा० टी० सुब्‍बारामी रेड्डी :**

**क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

1. क्‍या राज्‍य सरकारों को लाभार्थियों के लिए चलाई जाने वाली सभी योजनाओं में महिला कृषकों के लिए 30 प्रतिशत तक धनराशि मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है;
2. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;
3. क्‍या सरकार ने हाल ही में देश में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता एवं योगदान के संबंध में कोई अध्‍ययन कराया है;
4. यदि हां, तो इसके क्‍या परिणाम निकले हैं; और
5. सरकार ने अध्‍ययन के निष्‍कर्षों पर क्‍या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**

**एवं (ख)** जी हाँ। वर्ष 1997-98 से आगे महिला घटक योजना के संबंध में योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्‍य सरकारों को महिला किसानों के लाभ के लिए 30 प्रतिशत की सीमा तक निधियों के प्रवाह को सुनिश्‍चित करने के लिए कहा गया है। विस्‍तार सुधारों के लिए राज्‍य विस्‍तार कार्यक्रम हेतु सहायता, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्‍तर एवं हिमालयी राज्‍यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्‍ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम), प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के माध्‍यम से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना एवं सुदृढ़ बनाना, कटाई पश्‍चात् प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन तथा राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई मिशन जैसी लाभार्थी उन्‍मुख स्‍कीमों के दिशा-निर्देश में महिला किसानों के लिए 30 प्रतिशत निधियों के प्रवाह के संबंध में यह प्रावधान है।

(ग) जी नहीं।

(घ) एवं (ड.) प्रश्‍न ही नहीं उठता।

xxxxxx